राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 1808 दिनांकः 10.12.2021

कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2021 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	बैठक में किये गये निर्णय / सुझाव	संबंधित अधिकारी
1.	श्री मिस्साराम प्रजापत, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण में सृजित पदों पर निश्चित समयावधि में पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने का स्पष्टीकरण लिया जाये।	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
2.	i. एटीएम स्थापना के विकल्प के रूप में माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में लीड बैंक, वक्रांगी, प्रभारी ई–मित्र आदि के साथ बैठक कर पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। ii. साथ ही पूर्व में ही स्थापित 300 एटीएम में कैश लोडिंग के लिये यश बैंक, अपेक्स बैंक तथा एयू बैंक, तीनों से एक साथ बैठक कर उनसे प्रस्ताव लेने का प्रयास किया जाये। iii. इस संबंध में यदि कोई व्यवहार्यतापूर्ण (Viability) प्रस्ताव तैयार नहीं हो पा रहा है, तो भामाशाह योजनान्तर्गत RISL को उपलब्ध करायी गयी राशि में से अवशेष राशि को शीघ्र राजकोष में जमा कराया जाए।	श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प निदेशक (वित्त), राजकॉम्प
3.	i. ई–मित्र केन्द्रों पर प्रदर्शित होने वाली सेवाओं की दरों की सूची में मुख्य सेवाओं (निःशुल्क सेवाओं सहित) के नाम एवं उनके सम्मुख उनकी दरें लिखा जाना आवश्यक करावें। ii. साथ ही मोबाईल आधारित ई–मित्र केन्द्र खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। iii. सेवाओं की तय दर से अधिक राशि वसूलते हुए पाए जाने, फर्जी दस्तावेजों से सरकारी लाभ दिलाने का दोषी पाए जाने इत्यादि पर ई–मित्र केन्द्र संचालक की जन आधार पहचान संख्या ब्लैक लिस्ट की जाए। iv. कम उपयोग में आने वाले पहचान सर्विस कियोस्कों को स्थानांतरित करने के संबंध में उपलब्ध कराये गये 36 प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही शीघ्र की जावे।	अति. निदेशक, ई–मित्र

4.	i. जुलाई, 2021 में अधिसूचित 171 योजनाओं के जन आधार प्लेटफार्म से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आंकलन करने पर यह जानकारी में आया कि इनमें से कुछ योजनाएं बंद/अन्य योजना में एकीकृत (Merge)/Exempet) हेतु प्रस्तावित/अन्य विभागों को हस्तांतरित हो चुकी है। ii. इन योजनाओं और केन्द्र प्रवर्तित (साझा योजना होने पर केन्द्र व राज्य में राशि के विभाजन के विवरण सहित) व राज्य योजनाओं के रूप में वर्गीकरण की पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। iii. इन लोक–कल्याणकारी योजनाओं की उक्त संदर्भ में संबंधित विभागों से पुनः समीक्षा कर एवं नई योजनाओं को जोड़ते हुए संशोधित अधिसूचना जारी की जावे।	संयुक्त निदेशक (जन आधार)
5.	अधिसूचित 171 योजनाओं की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, पूर्णतः केन्द्र और पूर्णतः राज्य योजनाओं की संपूर्ण जानकारी हेतु संबंधित विभागों को पत्र लिखा जावे और सूचना की प्रामाणिकता के प्रमाण–पत्र का प्रारूप निर्धारित कर सूचना प्राप्त की जावे।	संयुक्त निदेशक (संस्थागत वित्त)
6.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा NIC से वार्ता कर उनके माध्यम से मॉनिटर की जा रही केन्द्र प्रवर्तित व राज्य योजनाओं की बिन्दु सं. 4 के संदर्भ में जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जानी है।	अति. निदेशक (जन आधार), RISL एवं प्रतिनिधि NIC
7.	राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत प्रचार–प्रसार में वृद्धि की जाए। इस हेतु बजट निर्णायक समिति में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे।	संयुक्त निदेशक (जन आधार)
8.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले तीन विनियमों के प्रस्तावित प्रारूपों को आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाना है।	संयुक्त निदेशक (जन आधार)
9.	NFSA परिवारों का जन आधार कार्ड से मैपिंग से संबंधित जिन प्रपत्रों की सीडिंग "दस्तावेज देने से मना कर रहे" कारण से नहीं हो पा रही है, इस हेतु इस आशय का परिपत्र जारी किया जाना है कि "ऐसे परिवारों को दस्तावेज नहीं देने पर 31.12.2021 के बाद राशन प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है"।	उपायुक्त–प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
10.	राशन दिये जाने से संबंधित नये जन आधार कार्ड व राशन वितरण पंजिका के प्रारूप में चर्चानुसार संशोधन किये जाने हैं।	संयुक्त निदेशक (जन आधार)

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न : परिशिष्ट – 1

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
सदस्य सचिव
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

क्रमांकः—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 1809 - 1833 दिनांकः 10.12.2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप—1) विभाग, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, यू.आई.डी., सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9. अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. उपायुक्त—प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (ई—मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
14. श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
15. श्री के. सी. मीणा, संयुक्त निदेशक (सं. वि.), आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
17. श्री सुदेश कुमार, संयुक्त निदेशक (जन्म—मृत्यु, विवाह), मुख्यालय, जयपुर।
18. श्रीमती राजश्री सांखला, एस.ए., आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
19. श्री पवन कुमार जांगिड, एस.ए., सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
20. श्री मुकेश शर्मा, एसीपी (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
21. श्री सुदर्शन सिंह देवड़ा, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
22. श्री जगदीश प्रसाद, एसीपी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. श्री कौशल सुरेश गुप्ता, उप प्रबंधक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
24. श्रीमती अंजुलता जोरवाड, लेखाधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
25. श्री आर.सी. जैन, सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, वित्त (व्यय—2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त निदेशक

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 06–12–2021 को आयोजित चतुर्थ बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री संदेश नायक, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
2.	डॉ. भारती दीक्षित, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
3.	श्री विवेक कुमार, विशेषाधिकारी, यू.आई.डी., सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
4.	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
5.	श्री एस.सी. गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त–प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7.	श्री आर.के.पाण्डे, निदेशक (जन–आधार) आयोजना विभाग
8.	श्री आर. एल. सोलंकी, अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
9.	श्री आर. के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
10.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
11.	श्री के.सी. मीणा, संयुक्त निदेशक (सं. वि.), आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12.	श्री सुदेश कुमार, संयुक्त निदेशक (जन्म–मृत्यु एवं विवाह), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
13.	श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर
14.	श्री पवन कुमार जांगिड, एस.ए., सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
15.	श्री मुकेश शर्मा, एसीपी (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
16.	श्री सुदर्शन सिंह देवड़ा, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
17.	श्री जगदीश प्रसाद, एसीपी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
18.	श्री कौशल सुरेश गुप्ता, उप प्रबंधक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर
19.	श्री विजेन्द्र जाट, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
20.	श्रीमती अंजुलता जोरवाड, लेखाधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
21.	श्री आर.सी. जैन, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, वित्त (व्यय–2) विभाग
22.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
23.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
24.	श्री सुधेन्द्र पाल सिंह, प्रोग्रामर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
25.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण